टीपः– आज दिनांक 28.07.2026 को साक्षी श्याम कुमार भारती को पुनः शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

साक्ष्य प्रारंभ समय 12.56 बजे

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती सरस्वती बरेठ अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण –

8. यह कहना सही है कि प्रेम कुमार सिदार मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन से हमनें साथ में खेला कूदा है और स्कूल भी साथ में जाते थे ।

9. यह कहना सही है कि मेरा घर और आरोपी का घर के बीच में सड़क है और आमनें सामनें हमारा घर है ।

10. मुझे मालूम नही है कि मेरा पुत्र और आरोपी दिलमणी हम उम्र है और साथ में खेले बढ़े हैं ।

11. मैं जो घटना बता रहा हूँ वह दिनांक 14.12.2019 की बात है । घटना का दिन शनिवार था ।

12. यह कहना सही है कि मुझे अभियोजन द्वारा घटना का दिन और दिनांक के बारे में नही पूछा गया था । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा घटना के संबंध में थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज नही कराया गया है ।

13. यह कहना सही है कि थाना में मेरे द्वारा किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नही कराया गया है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा थाना में कोई बयान नही दिया गया है ।

14. यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने अपने मन से बयान लिखा है ।

15. आज मुझे याद नही है कि मैं जिस तारीख को घटना होना बता रहा हूँ, उसके 02–03 माह पहले विधायक चुनाव हुआ था या नही ।

16. यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र कांग्रेस या भाजपा जैसे राजनीतिक पार्टी का समर्थक है । यह कहना गलत है कि चुनावी माहौल में कांग्रेस का बैनर लगा हुआ था, जिसे मेरे पुत्र ने हटाने का प्रयास करते हुये फाड़ दिया था, जिससे आरोपी दिलमणी एवं अन्य साथी ने मना किया, लेकिन नही माना ।

17. यह कहना गलत है कि वहां पर बहुत भीड़ हो जाने के कारण पुलिस थाना पुसौर वाले आ गये थे । यह कहना गलत है कि पुलिसवाले मेरे पुत्र रूपेन्द्र को थाना ले गये थे ।

18. यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र को थाना ले गये थे, तब मैं और मेरी पत्नी गये थे और मेरी पत्नी ने थाना में बहुत विनती किया कि मेरे पुत्र को छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती नही करेगा, तब थाना से उसे छोड़ा गया ।

19. मुझे पता नही है कि उपरोक्त बात से मुझे गुस्सा था या नही ।

20. यह कहना सही है कि मैं उपरोक्त से रंजिश रखते हुये आज प्रेमकुमार एवं दिलमणी सिदार को रंजिशवश झूठा फंसाने के लिये प्रकरण दर्ज कराया हूं ।

21. मेरे पुत्री का नाम रजनी भारती है । यह कहना सही है कि मेरी पुत्री का विवाह मैने अपने इच्छा से नही किया है, उसने लब मैरेज किया है ।

22. यह कहना सही है कि मेरी पुत्री ने मेरे भतीजे सुरेश भारती से भागकर हमारे विरूद्ध शादी कर ली है ।

23. मैं नही बता सकता कि किस दिनांक को या कौन से सन् में भागकर उसने शादी किया है ।

24. यह कहना सही है कि तथाकथित घटना के 02–03 वर्ष पूर्व मेरे पुत्री ने भागकर शादी किया था । यह कहना सही है कि तब मैने प्रेमकुमार एवं दिलमणी पर

यह आरोप लगाया था कि मेरे बेटी के भागने में तुम लोग मदद किये हो और उसको भगाने में तुम लोगों का हाथ है । यह कहना गलत है कि तब से मुझे आरोपीगण के उपर गुस्सा था ।

25. यह कहना गलत है कि चुनाव के समय से मुझे आरोपी दिलमणी पर गुस्सा था और मैं, मेरा पुत्र प्रार्थी रूपेन्द्र ने डंडा लेकर आरोपी को मारने गये थे ।

26. यह कहना सही है कि जब मैं और रूपेन्द्र वहां पर पहुंचे थे तो आरोपी मंच पर बैठकर मोबाईल से फ्री फायर खेल रहा था और वहां पर अन्य और लोग भी बैठे थे । यह कहना सही है कि तब ठंडी का महिना था ।

27. यह कहना गलत है कि मैं और मेरे पुत्र के द्वारा डंडे से आरोपी दिलमणी को मारने लगे । यह कहना गलत है कि तब दिलमणी हमारे द्वारा मारे जाने से चिल्लाया कि मुझे बिना कुसूर का क्यो मार रहे हो । यह कहना गलत है कि हमारे मार से बचनें के लिये आरोपी तेजी से भागने लगा और हमलोग डंडा लेकर उसको दौड़ाये।

28. यह कहना गलत है कि जब मैं और रूपेन्द्र आरोपी को दौड़ा रहे थे तब गली से अचानक एक सायकल से मै तेज दौड़ते हुये मैं टकरा गया और गिरने से मेरे दांये हाथ के कोहनी, घुटना और सिर में चोट आई थी ।

29. यह कहना गलत है कि तब दौड़ते हुये आरोपी दिलमणी अपने पिता आरोपी प्रेमकुमार जहां काम कर रहा था, वहां गया । यह कहना गलत है कि तब प्रेमकुमार के पूछने पर कि मेरे पुत्र दिलमणी को तुमलोग बिना वजह क्यों मार रहे हो, तब हमलोंगो ने उसे भी गाली गलौज और हाथापायी करने लगे ।

30. साक्षी से पूछे जाने पर कि दिलमणी के कौन से हाथ में बांस का डंडा होना बताया थ? इस पर साक्षी का उत्तर है कि दांया हाथ में बांस का डंडा था । साक्षी

से पूछे जाने पर कि आप खड़े थे या बैठे थे या जमीन पर गिरे हुये थे ? इस पर साक्षी का उत्तर है कि मैं खड़ा हुआ था ।

31. यह कहना सही है कि जब आरोपीगण के द्वारा मुझे मारा जा रहा था तब मैं नही रोका । यह कहना सही है कि यदि कोई डंडे से वार करता है, तो एक बार वार करनें से एक ही जगह चोट लगेगा ।

32. यह कहना गलत है कि मैं नही बता सकता कि डंडा कितना लंबा था और कितना मोटा था । साक्षी स्वतः कहता है कि उक्त डंडा साढ़े 04 फिट लंबा और मोटाई 3 इंच थी ।

33. यह कहना सही है कि आरोपीगण हमलोगो से झगड़ा करने या मारपीट करने नही आये थे । यह कहना गलत है कि चोट का स्थान फटा हुआ था ।

34. यह कहना सही है कि चोट लगने के पश्चात मैं खुद थाना गया था । यह कहना सही है कि मुझे घटनास्थल से लोग सीधा अस्पताल लेकर नही गये थे ।

35. यह कहना सही है कि मैं आज नही बता सकता कि मैं अस्पताल में किस दिनांक से किस दिनांक तक भर्ती था ।

36. यह कहना सही है कि मैने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में यह बोला है कि बनबोधि बघेल के घर जाने के लिये हमलोग निकले तो गांव के चबुतरे में दिलमणी सिदार बैठा हुआ था ।

37. बनबोधि का घर घटनास्थल और गांव के चबुतरे के मध्य 200 फिट की दूरी है । यह कहना गलत है कि चबुतरे से मनबाधि घर तक जाने में 20 मिनट का समय लगेगा ।

38. यह कहना सही है कि मैंने जो न्यायालय में बयान दिया है और पुलिसवाले ने जो लिखा है, दोनों में विरोधाभास है, क्यों हैं पूछे जाने पर बताया कि मै नही बता सकता ।

39. यह कहना सही है कि जब हम नीचे गिरते हैं, तब बचने के लिये अक्सर कोहनी का प्रयोग करते हैं ।

40. यह कहना सही है कि मैनें घटना होते वक्त खुद को बचाने के लिये आसपास के अन्य लोगों को नही बुलाया था ।

41. यह कहना गलत है कि आज मैं आरोपीगण को झूठा फंसाने के आपसी रंजिशवश न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन कर रहा हूँ ।

साक्ष्य समाप्त 01.55 बजे

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।
सही/–
(अजय लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायगढ़ छत्तीसगढ

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
सही/–
(अजय लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायगढ़ छत्तीसगढ

साक्षी के हस्ताक्षर–सही/–